राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 386/2024
मोहित कुमार शर्मा

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 27.02.2024
उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री सलीम खान, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई। अपीलार्थी की ओर से संशोधित अपील प्रस्तुत की गई है एवं संशोधित अपील रिकॉर्ड पर लेने के लिए प्रार्थना की गई। प्रार्थना स्वीकार कर संशोधित अपील रिकॉर्ड पर ली जाती है।

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी टेक्निकल द्वितीय के पद पर कार्यरत हैं। अपीलार्थी ने इस अपील में आदेश दिनांक 13.02.2024 एवं 20.02.2024 (अनुलग्नक–1 एवं 1ए) को चुनौती दी है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश दिनांक 13.02.2024 के द्वारा AEN (O&M), JPD, Kanwas से AEN (O&M) JPD, Shahbad किया गया है एवं उसके पश्चात अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश दिनांक 20.02.2024 के द्वारा AEN (O&M), JPD, Kanwas से AEN (O&M) JPD, Shahbad किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि उपरोक्त दोनों स्थानान्तरण आदेशों में अपीलार्थी का स्थानान्तरण एक ही स्थान पर किया गया था। बाद में आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण कानवास से खानपुर किया गया है, परन्तु दिनांक 22.02.2024 के ही अन्य आदेश के द्वारा शुद्धि पत्र जारी कर अपीलार्थी का स्थानान्तरण खानपुर के स्थान पर शाहबाद स्थानान्तरण किया जाना अंकित किया गया। इस प्रकार अपीलार्थी का स्थानान्तरण पुनः आदेश दिनांक

22.02.2024 के द्वारा भी शाहबाद किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क रहा है कि अपीलार्थी अल्पवेतन भोगी कर्मचारी है। ऐसे में अपीलार्थी स्थानान्तरण किया जाना उचित नहीं है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण निजी प्रत्यर्थी संख्या–7 को लाभ देने की गरज से किया गया है, जो उचित नहीं है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण 10 वर्ष से पूर्व नहीं किया जा सकता था। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानान्तरण स्थानान्तरण नीति के विरूद्ध किया गया है, जो गलत है।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया।

4. आलोच्य आदेश में अपीलार्थी का स्थानान्तरण खानवास से शाहबाद किया गया है। अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापन स्थान खानवास में वर्ष 2019 से पदस्थापित है। अपीलार्थी को वर्तमान स्थान पर समुचित समय तक पदस्थापित रखने के पश्चात अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है। यह भी नहीं माना जा सकता कि अपीलार्थी अल्प वेतनभोगी कर्मचारी है। ऐसे में अपीलार्थी का यह तर्क माने जाने योग्य नहीं है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण अल्प वेतनभोगी कर्मचारी होने के आधार पर नहीं किया जा सकता हो। यह भी प्रकट नहीं हुआ है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण निजी प्रत्यर्थी को लाभ देने की गरज से किया गया है।

5. प्रशासनिक आवश्यकताओं में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with a transfer Order which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer Orders are made in violation of any mandatory statutory Rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer Orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights. Even if a transfer Order is passed in violation of executive instructions or Orders, the Courts ordinarily should not interfere with the Order instead affected party should approach the higher authorities in the Department. If the Courts continue to interfere*

with day-to-day transfer Orders issued by the Government and its subordinate authorities, there will be complete chaos in the Administration which would not be conducive to public interest."

6. उपर्युक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने से कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)